



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2006/माघ 14, 1927

No. 115]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006/MAGHA 14, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 134(अ).—केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2006 का 3) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मार्च, 2006 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

[सं. 1/2006-सी एस टी-फा. सं. 19/211/96-एस टी]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 134(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Central Sales Tax (Amendment) Act, 2005 (3 of 2006), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 2006, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. 1/2006-CST-F.No. 19/211/96-ST]

R. G. CHHABRA, Under Secy.